राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ विशेष अपील (रिट) संख्या 436/2022

में

एकलपीठ सिविल अवमान याचिका सं 95/2018

सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के माध्यम से राजस्थान राज्य।

----अपीलार्थी

बनाम

1. मनोज कुमार तुनगरिया पुत्र स्व. रामपाल तुंगारिया, निवासी गंगा मंदिर के पास, बड़ी बस्ती, पुष्कर, अजमेर, राजस्थान।

गैर-अपीलार्थी/याचिकाकर्ता

2. नरेश पाल ग्नगवाल, सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. पी.सी. किशन, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, बीकानेर।
4. गिर्राज सिंह कुशवाह, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निहाल चंद गोयल, मुख्य सचिव, राजस्थान राज्य, शासन सचिवालय, जयपुर।

---गैर-अपीलार्थी/अवमाननाकर्ता

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री चिरंजी लाल सैनी, अतिरिक्त महाधिवक्ता।
प्रत्यर्थी (गण) संख्या 1 की ओर से	:	श्री अजातशत्रु मीना अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से	:	श्री एम.एफ. बेग अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

<u>निर्णय</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

03/03/2022

यह अपील सिविल अवमानना याचिका संख्या 95/2018 में विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2021 के विरूद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा विद्वान एकलपीठ ने निदेशक और सचिव, प्राथमिक शिक्षा विभाग को स्पष्टीकरण देने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। उन्हें सज़ा क्यों नहीं मिलनी चाहिए।

अपील की औपचारिक स्वीकृति से पहले ही, प्रत्यर्थी संख्या 1/अवमानना याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, जिनकी अवमानना याचिका में विद्वान एकलपीठ ने 20.11.2021 को आदेश पारित किया है, उपस्थित हुए और अपील की विचारणीयता पर आपत्ति ली, अतः, अपील की पोषणीयता के मुद्दे पर विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा सुनवाई की गई।

विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता का तर्क होगा कि यद्यपि यह ऐसा मामला नहीं है जहां राज्य के अवमाननाकर्ताओं/अधिकारियों को अवमानना के लिए दंडित किया गया है, यह एक ऐसा मामला है जहां विद्वान एकलपीठ ने अवमानना के आदेश से स्वतंत्र मामले का निर्णय करते हुए कुछ निर्देश जारी किए हैं। विद्वान एकलपीठ के समक्ष आरोप लगाया गया। उनका कहना था कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ता को समायोजित करने के लिए न्यायालय का निर्देश था, क्योंकि रिक्ति के अभाव में संभव नहीं था, विद्वान एकलपीठ के समक्ष उठाए गए उस रुख के बावजूद, रिट याचिकाकर्ता को समायोजित करने के लिए प्राधिकरण को निर्देश दिया गया और निर्देश दिया गया प्राधिकारियों/अवमाननाकर्ताओं को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और सजा के विरूद्ध कारण बताने का निर्देश दिया गया, एक निर्णय के माध्यम से एक स्वतंत्र निर्णय का गठन करता है और अतः, **जे.एस. परिहार बनाम गणपत दुग्गर और अन्य, (1996) 6 एससीसी 291** और **मिदनापुर पीपल्स को.ऑप. बैंक लिमिटेड एवं अन्य वी. चुन्नीलाल नंदा एवं अन्य ए.आई.आर. 2006 एससी 2190,** के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, यह अपील, जो एक स्वतंत्र निर्णय के विरूद्ध निर्देशित है, सुनवाई योग्य होगी।

विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रस्तुतियों और तर्कों पर उत्सुकतापूर्वक विचार करने के बाद, हम खुद को उनके तर्कों को उन कारणों से स्वीकार करने में असमर्थ पाते हैं जो बुनियादी तौर पर बताए गए हैं।

प्रत्यर्थी संख्या 1- अवमानना याचिकाकर्ता द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई

है, जिसमें एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1743/2005, में विद्वान एकलपीठ द्वारा 15.12.2015 को जारी आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया है। इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 16.12.2016 को खंडपीठ सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 1262/2016 और अपीलों का बैच में पारित निर्णय द्वारा पुष्टि की गई।

रिट याचिका में, विद्वान एकलपीठ ने यह मानते हुए कि नियुक्ति के लिए रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार न करना कानून के अनुसार नहीं था, नियुक्ति के लिए रिट याचिकाकर्ता के मामले पर उसकी संबंधित योग्यता स्थिति के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया, जैसाकि संकेत दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग सफल अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति की अनुशंसा सहित अग्रेषित करते हुए अन्यथा उपयुक्त पाए जाने पर उसे नियुक्ति दे। आगे यह निर्देश दिया गया कि रिट याचिकाकर्ता को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अग्रेषित चयन सूची में उसकी योग्यता स्थिति के अनुसार नियुक्ति दी जाएगी। हालाँकि, विद्वान एकलपीठ ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह ध्यान में रखते हुए कि उम्मीदवारों को पहले ही नियुक्तियाँ दी जा चुकी हैं, राज्य को पहले से किए गए चयनों और नियुक्तियों को परेशान किए बिना रिट याचिकाकर्ता को समायोजित करने का निर्देश दिया।

जब इस आदेश को अपील में चुनौती दी गई तो अपील भी अपास्त कर दी गई और विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई।

ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में, जब रिट याचिकाकर्ता को कोई नियुक्ति नहीं दी गई और उसे बताया गया कि चूंकि पद उपलब्ध नहीं है, अतः उसे नियुक्ति नहीं दी जा सकती, तो अवमानना याचिका दायर की गई। उस अवमानना याचिका में जब मामले की सुनवाई 20.11.2021 को विद्वान एकलपीठ द्वारा की गई, तो विद्वान एकलपीठ ने न्यायालय द्वारा जारी निर्देश को ध्यान में रखते हुए और कोई पद उपलब्ध नहीं होने के बचाव को स्वीकार नहीं करते हुए, निदेशक और सचिव को निर्देश दिया, प्राथमिक शिक्षा विभाग को न्यायालय में उपस्थित रहकर यह बताना होगा कि उन्हें दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इस स्तर पर, हालांकि, जिन संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था, उन्होंने अपील नहीं की है, लेकिन राज्य ने अपील दायर की है।

हमें ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकलपीठ ने आदेश का अनुपालन न करने के बताए गए कारणों से संतुष्ट न होते हुए एक निर्देश पारित किया है और उसने कोई स्वतंत्र

मुद्दा तय नहीं किया है। यह कहना कि रिक्ति के अभाव में न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका, मूलतः रक्षा के दायरे में है। विद्वान एकलपीठ ने किसी अन्य मुद्दे पर निर्णय नहीं किया है, विद्वान एकलपीठ द्वारा जारी किए गए निर्देश और खंडपीठ द्वारा पुष्टि की गई है, लेकिन केवल न्यायालय द्वारा जारी किए गए पहले के निर्देशों के गैर-अनुपालन को आगे बढ़ाने में।

दो निर्णय, जो विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा बार में उद्धृत किए गए हैं, आदेश की प्रकृति को देखते हुए वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होंगे, जिसे विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित किया गया है और इसमें चुनौती दी गई है। निवेदन।

जे.एस. परिहार (सुप्रा.), के मामले में न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने के लिए अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए दायर एक अवमानना याचिका में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विद्वान एकलपीठ ने एक स्वतंत्र निर्णय द्वारा बाद की कार्रवाइयों की वैधता और वैधता का निर्णय किया था। गुणागुण और वह भी अवमानना की कार्यवाही में। उस तथ्यात्मक मैट्रिक्स और अजीब परिस्थितियों में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि आदेश, स्टैंडअलोन, एक स्वतंत्र निर्णय का गठन करेगा और अतः, इस बात के बावजूद कि अध्यादेश की धारा 19 के तहत अपील सुनवाई योग्य नहीं होगी, धारा 18 के तहत पेटेंट अपीलसुनवाई योग्य होगी।

मिदनापुर पीपुल्स को.ऑप. बैंक लिमिटेड और अन्य (सुप्रा.), के मामले में दूसरा निर्णय, जिस पर विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने भरोसा किया है, **जे.एस. परिहार (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत की पुष्टि करता है। न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 19 के तहत अपील के प्रावधान के दायरे पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधिक स्थिति को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया:

> "**11.** अवमानना कार्यवाही में आदेशों के विरूद्ध अपील के संबंध में इन निर्णयों से उभरने वाली स्थिति को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:
>
> 1. अवमानना के लिए दंडित करने के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित उच्च न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय के विरुद्ध, अर्थात अवमानना के लिए दंड देने वाला आदेश।

2. न तो अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने से इनकार करने वाला आदेश, न ही अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने वाला आदेश, न ही अवमानना के लिए कार्यवाही को छोड़ने का आदेश और न ही अवमाननाकर्ता को बरी करने या दोषमुक्त करने वाला आदेश, सीसी अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील योग्य है। विशेष परिस्थितियों में, वे संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत चुनौती के लिए खुले हो सकते हैं।

3. अवमानना की कार्यवाही में, उच्च न्यायालय यह तय कर सकता है कि क्या न्यायालय की कोई अवमानना की गई है, और यदि हां, तो सजा क्या होनी चाहिए और उससे जुड़े मामले क्या होंगे। ऐसी कार्यवाही में, पक्षों के बीच विवाद के गुणागुण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय देना या निर्णय लेना उचित नहीं है।

4. पक्षकारों के बीच विवाद के गुणागुण के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी कोई भी निर्देश या निर्णय, 'अवमानना के लिए दंडित करने के अधिकार क्षेत्र' के अंतर्गत नहीं आएगा और अतः, सीसी अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील योग्य नहीं होगा। एकमात्र अपवाद वह है जहां ऐसा निर्देश या निर्णय अवमानना के लिए दंडित करने वाले आदेश के साथ आकस्मिक या अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील, आकस्मिक या अविभाज्य रूप से जुड़े निर्देशों को भी शामिल कर सकती है।

5. यदि उच्च न्यायालय, किसी भी कारण से, किसी मुद्दे पर निर्णय लेता है या अवमानना कार्यवाही में पक्षों के बीच विवाद के गुणागुण से संबंधित कोई निर्देश देता है, तो पीड़ित व्यक्ति उपचार के बिना नहीं है। इस तरह के आदेश को इंट्रा-कोर्ट अपील में चुनौती दी जा सकती है (यदि आदेश विद्वान एकलपीठ का था और इंट्रा-कोर्ट अपील का प्रावधान है), या संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति मांगी जा सकती है। भारत (अन्य मामलों में)।

पहले बिंदु का उत्तर तदनुसार, दिया गया है।

बिन्दु संख्या (ii) :"

विशेष रूप से, यह माना गया कि यदि उच्च न्यायालय, किसी भी कारण से, किसी मुद्दे पर निर्णय लेता है या अवमानना कार्यवाही में पक्षों के बीच विवाद के गुणागुण से संबंधित कोई निर्देश देता है, तो पीड़ित व्यक्ति उपचार के बिना नहीं है। उस सादृश्य पर, यह माना गया कि इस तरह के आदेश को इंट्रा-कोर्ट अपील में चुनौती दी जा सकती है, बशर्ते कि विद्वान एकलपीठ के आदेश के विरूद्ध इंट्रा-कोर्ट अपील का प्रावधान हो या अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति मांगी जाए। भारत के संविधान में इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक अधिनियमों और नियमों के तहत कोई इंट्रा-कोर्ट अपील प्रदान नहीं की जाती है।

अतः, सभी मामलों में लागू सिद्धांत यह है कि अवमानना कार्यवाही में अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, पक्षकारों के बीच गुणागुण के आधार पर किसी भी मुद्दे पर कोई भी स्वतंत्र निर्णय लिया जाता है, हालांकि, अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील सुनवाई योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई है अंतर-न्यायालय अपील के लिए एक प्रावधान, विद्वान एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध अपील कायम रहेगी।

उपरोक्त निर्णयों में तर्क का सामान्य सूत्र यह है कि पक्षों के बीच विवाद के गुणागुण के आधार पर एक स्वतंत्र निर्णय होना चाहिए।

विद्वान एकलपीठ ने, जैसाकि आदेश से ही स्पष्ट है, पक्षकारों के बीच गुणागुण के आधार पर किसी भी मुद्दे पर विचार या निर्णय नहीं किया है। उसने जो आदेश दिया है वह यह है कि चूँकि समायोजन का निर्देश था, अधिकारी समायोजन करने के लिए बाध्य थे।

यहां तक कि राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम, 1952 के नियम 134 के तहत कोई अपील नहीं की जाएगी, जो निम्नानुसार प्रदान करता है:

"134. (i) **न्यायालय के न्यायमूर्तियों के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील**:- निर्णय या अंतिम आदेश (किसी डिक्री के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित निर्णय नहीं) के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दिया गया आदेश और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दिया गया आदेश नहीं है और अधीक्षण की शक्ति के प्रयोग में पारित या दिया गया वाक्य या आदेश नहीं है या उच्च न्यायालय के

एक न्यायाधीश के आपराधिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में)।

विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश की यथार्थता पर टिप्पणी किए बिना कि क्या इन परिस्थितियों में, ऐसा निर्देश उचित था या नहीं, हमारा विचार है कि यह किसी मुद्दे का गुणागुण के आधार पर स्वतंत्र निर्णय के समान नहीं है। दलों। यह न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद कार्रवाई के नए कारण के आधार पर किसी मुद्दे पर निर्णय लेने का मामला भी नहीं है। यदि ऐसी स्थिति मौजूद नहीं है, तो हमारे विचार में, यह अपील सुनवाई योग्य नहीं होगी क्योंकि अवमानना कार्यवाही अभी भी लंबित है और विद्वान एकलपीठ द्वारा अपने अवमानना क्षेत्राधिकार में अब तक कोई दंड आदेश पारित नहीं किया गया है।

परिणामस्वरूप, अपील को कानून में कायम रखने योग्य नहीं माना जाता है। हम पीड़ित पक्षों/राज्य पर ऐसे उपाय का सहारा लेने का अधिकार छोड़ते हैं जो उनके लिए कानून में उपलब्ध हो।

अपील पोषणीय न होने के कारण अपास्त की जाती है।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायमूर्ति **(मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव), न्यायमूर्ति**

MANOJ NARWANI /47

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।
अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।